देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

अंक –2018/J09/13/PR/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest गुरुवार, 13 सितम्बर 2018

36साल से एक मकान के लिए आवासन मंडल से लड़ाई लड़ता एक बुजुर्ग दंपत्ति

भ्रष्टाचार से लड़ाई में कैसे समय निकल जाता है इसका पता तो भ्रष्टाचार का दंश झेलने वाला ही बता सकता है,अन्य व्यक्ति तो केवल सहानुभूति ही रख सकता है|ऐसे ही एक मामले में अलवर का एक दंपत्ति पिछले 36 सालों से राजस्थान आवासन मंडल से अपने एक मकान को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है लेकिन लड़ाई है की ख़त्म ही नहीं हो रही,ऐसा नहीं है कि मामला अदालतों में नहीं पंहुचा हो,चार-चार अदालतों के निर्णय दंपत्ति के पक्ष में आने के बावजूद आज तक अपने मकान के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है|इस मामले से जुड़े कई अफसर-कर्मचारी तो रिटायर्ड होकर आराम भी फरमा रहे है और यह दम्पति आज भी लाख मुसीबतों,बीमारियों और सीनियर सिटीजन से घिरे होने के बावजूद रोज अधिकारीयों से मकान पाने की जद्दोजहद में चक्कर काट रहे है|

इस थका देने वाले घटनाक्रम की शुरुआत 1982 से शुरू हुई जब बैंक में उच्च पद पर कार्यरत बैंक अधिकारी श्री केदारनाथ शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा की माताजी श्रीमति देवकी शर्मा ने राजस्थान आवासन मंडल ,अलवर के निकले मकानों की लाटरी के लिए फ़ार्म भरा|जिसमे अपनी पुत्रवधू श्रीमती विजय लक्ष्मी को नॉमिनी बनाया|

जिसकी लाटरी विभाग ने 1991 में निकाल सीडमनी जमा करवाने को कहा,जिसपर दंपत्ति ने सीडमनी जमा करवा दी बावजूद इसके मंडल ने आवंटी को मकान नहीं दिया और यह कह कर मना कर दिया कि आवंटी ने सीडमनी जमा नहीं करवाई है|इस पर आवंटी ने जिला उपभोक्ता मंच में वाद दायर किया जिसमे अदालत ने 1997 को आवंटी के पक्ष में निर्णय देते हुए मंडल को मकान आवंटित करने के आदेश दिए तथा नुकसान राशि की वसूली तत्कालीन कर्मचारियों/अधिकारीयों से लेने के आदेश भी दिये|

जिला मंच के आदेश के विरुद्द मंडल राज्य आयोग में गया जहाँ उसकी अपील को खारिज कर दिया गया|तत्पश्च्यात मंडल ने 2001 में आवंटी को मकान (3/55 NEB EXT.अलवर)आवंटित करने का निर्णय लिया|इसी बीच आवंटी देवकी शर्मा की मृत्यु हो गयी और नॉमिनी होने के कारण यह मकान उनकी पुत्रवधू श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा के नाम करने का एक प्रार्थना पत्र दंपत्ति द्वारा भेज दिया गया|परन्तु इस प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज करते हुए मंडल द्वारा आवंटन पत्र मृतका देवकी शर्मा के नाम जारी कर दिया|और अन्य पेचीदगियां पैदा कर पुनः मकान आवंटन करने से इनकार कर दिया|इस पर आवंटी द्वारा पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया जिसमे आयोग ने 2013 में आवंटी के पक्ष में निर्णय देते हुए आवंटन की कमी-पेशी एक महीने में पूरी कर मकान सौपने के आदेश दिए|

नया आवंटित मकान घटिया लोकेशन पर

आवंटी के अनुसार नया आवंटित मकान सही लोकेशन पर नहीं है वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है,आये दिन महिलाओं से छेड़-छाड़ की घटनाएं होती है|ऐसे माहोल में बुजुर्ग दंपत्ति का वहां रहना खतरनाक है|

मंडल द्वारा केवल और केवल दुर्भावना से ग्रसित होकर ही आवंटी को परेशान किया जा रहा है| विजयलक्ष्मी शर्मा-आवंटी

राज्य आयोग के इस फैसले के विरुद्ध मंडल ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की जिसे आयोग ने 2017 में खारिज करते हुए आवंटी के पक्ष में फैसला दिया|

परन्तु आवासन मंडल ने पुनः मनमानी करते हुए और सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए दिनांक 31/05/2017 को दिए रिवाइज्ड अलोटमेंट लेटर में पहले आवंटित मकान 3/55 को हटा एक नया मकान 2/230 NEB एक्स्ट.अलवर आवंटित कर दिया|आवंटी द्वारा अपने पुराने आवंटित मकान 3/55 के बारे में पूछने पर मंडल द्वारा यह जवाब दिया गया की उसे तो खुली बिक्री योजना में किसी अन्य को 2008 में ही आवंटित कर,बेचान कर दिया गया है|

जब आवंटी द्वारा मंडल से यह कहा गया कि उन्हें खाली मकानों की लिस्ट दी जाए तो मंडल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस मकान के अलावा अब कोई मकान खाली नहीं है|उन्हें यही मकान

आवासन मंडल के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर श्री ईश्वरलाल की हठधर्मिता है प्रमुख कारण

इस पुरे प्रकरण में अलवर के डिप्टी हाऊसिंग कमिश्नर रहे श्री ईश्वर लाल रंगनानी की हठधर्मिता ने आज तक दंपत्ति को मकान पाने से वंचित कर रखा है,उनके निरंकुश रवैये के कारण ही इस मामले में एक के बाद एक पेच फंसाए गए है और उनके रहते ही आज तक इस दंपत्ति को इस मामले से जुडी सूचनाएं पूर्ण और सटीक नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है|इस प्रकरण में दंपत्ति द्वारा दसों बार चिट्टियाँ लिखी जा चुकी है परन्तु अफसर उनके एक ख़त का जवाब भी नहीं देते|

सूत्रों के अनुसार अलवर जिले आवासन मंडल के अधिकारियों ने करोड़ों की बेनामी संपत्तियां बना रखी है जिसकी जांच होनी आवश्यक है|

लेना होगा अन्यथा उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा|

आवंटी का कहना है कि यह अधिकारीयों का तानाशाही रवैया है और माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले की अवमानना है उन्हें पहले वाला मकान या अन्य मकान के चुनाव करने के लिए वरीयता दी जाए|

आवंटी के अनुसार मंडल के कई अधिकारी उसे धमकी दे चुके है कि वह इस जन्म में तो आवासन मंडल से मकान प्राप्त नहीं कर सकता उसके लिए तो उसे दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा|उनके अनुसार उन्होंने आज तक एक पैसा रिश्वत का मंडल के कर्मचारियों को नहीं दिया इसी बात का खामियाजा उनको चुकाना पड़ रहा है|परन्तु

कार्यालय टिप्पणी

देवकी शर्मा की मृत्यु दिनांक 21.05.1998 को हो गई है उत्तराधिकारी द्वारा आवश्यक प्रपत्र नहीं दिये जाने के कारण मण्डल द्वारा आवंस संख्या 3/55 निरस्त कर खुली बिक्री योजना किसी अन्य को दिनांक 15.06.2008 को आवंटित कर दिया गया

6 प्रिलिटीगेशन कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय में SLP दायर नही करने की स्थिति में मण्डल को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद संख्या 495/2011 मे दिये निर्णय (पैरा 7/N.) व जिला मंच अलवर द्वारा परिवाद संख्या 844/96 में दिये गये निर्णय की पालना की जानी है।चूंकि आवास संख्या 3/55 एन०ई०बी० विस्तार योजना अलवर आब मण्डल के पास उपलब्ध नही है। अतः इस स्थिति में जिला मंच के निर्णय अनुसार अन्य आवास दिये जाने के बारे में निर्णय किया जाना है। आवासीय अभियन्ता खण्ड अलवर के अनुसार आवास संख्या 3/55 के समकक्ष ही एक अन्य आवास 2/230 इसी योजना में उपलब्ध है। आवास संख्या 2/230 ,पिछले 24 वर्षो से रिक्त होने के कारण उसकी मरमत की जानी शेष है। जिस पर लगभग रू. 5.00 लाख के व्यय होने का अनुमान है।

(मंडल की कार्यालय टिप्पणी,जिसमे मकान संख्या 3/55 को अन्य व्यक्ति को आवंटित बता रखा है)

आवंटी दंपत्ति जो कि अब वरिष्ट नागरिक हो चुके है,आवासन मंडल से निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना चुके है|

श्री केदार नाथ शर्मा जो कि अब बैंक की अपनी नौकरी से सेवानिवृत हो चुके है,अब अपना समय सूचना के अधिकार का उपयोग कर,आवासन मंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने में लगा रहे है|उन्होंने अब भ्रष्ट अधिकारियों को जेल पहुचाने का प्रण ले लिया है|उनके अनुसार मंडल के मकानों पर कर्मचारियों ने कब्जे कर रखे है,विभाग के अधिकारी अपनी शर्तों पर मकान आवंटित करने का खेल करते है|

राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD

(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

वृत्त अलवर, CIRCLE-ALWAR

Circle Office: Manu Marg, Near Center Bus Stand, ALWAR - 301 001, Rajasthan, INDIA

Telephone: 91-144-332612; E-mail ID: [illegible]; Website: rhbonline.rajasthan.gov.in

114

Regd. AD / Speed Post

REVISED ALLOTMENT LETTER

(Under Disposal of Property Regulations 1970)

No. RHB/CIRCLE/ALWAR/2017-18/ 640 Dated: 31/5/17

श्रीमति विजय लक्ष्मी शर्मा
2/252, विधाधर नगर जयपुर – 302039

Mode Of Payment: HIRE PURCHASE		
MI	Rs.	2222
Service Tax including cess @ 4.50%	Rs.	100
MI incl Service Tax	Rs.	2322

Sir/ Madam,
We are pleased to inform that you have been alloted a house as per the following particulars under Hire Purchase payment option.

House No./Scheme : House No. 2/230 at N.E.B EXTENTION SCHEME, ALWAR

Costing sanction No. F2(3) Costing /511/475 Dated 25/5/2017 Category: MIG-B

DETAILS OF COST OF HOUSE & OTHER EXPENSES

(A) COST OF HOUSE:				
1 Cost of Land (Chargeable Area) (Standard Area)	162.000 Sqm) 162.000 Sqm @ Rs. 370 per Sqm	=	Rs.	59,940
3 Cost of construction	134060	=	Rs.	134,060
	TOTAL (A)	=	Rs.	194,000
(B) OTHER CHARGES:				
1 Ancillary Service Charges	@ 3.0% Of Total (A)	=	Rs.	5,820
2 Lease Money (One Year)	@ 2.5% Of A.1	=	Rs.	1,499
3 Interest on outstanding Reservation Money for delayed period		=	Rs.	1,600
4 Hire purchase charges @5% on A		=	Rs.	9,700
5 Monthly Instalment One Adavance		=	Rs.	2,222
	TOTAL (B)	=	Rs.	20,841
	TOTAL (A)+(B)	=	Rs.	214,841
(C) LESS:				
1 Registration Amount		=	Rs.	4,600
2 Interest on Registration amount			Rs.	7,759
3 Seed Money			Rs.	30,400
4 Interest on Seed Money			Rs.	16,408
	TOTAL (C)	=	Rs.	59,167
(D)	TOTAL (A)+(B)-(C)	=	Rs.	155,674
(E) Amount Deferred in 156 monthly instalments (ROI- 16%)		=	Rs.	145,500
	TOTAL (E)	=	Rs.	145,500
(F) Amount to be paid before possession excluding Service Tax (D - E)		=	Rs.	10,174
(G) SERVICE TAX				
1 Service Tax payable @ 15.00% of total (B) excluding (B2)		=	Rs.	1,113
2 Total Service Tax payable (G)		=	Rs.	1,113
(H) Amount to be paid before possession including Service Tax (F+G)		=	Rs.	11,287

Importent Note:- 1 - This allotment letter is issued as per decission of District Consumer Forum Alwar in Case no. 844/96 after dismissal of Revision Pitition no. 2318/2014 by National Consumer Disputes. Redressal Commision on 02-03-2017 and decision of Pre Letigation Commitee (RHB) on 11-04-2017 and Supersetion of previonshy issued allotment letter no. 3041 date 21-09-2001.

2- This house is alloteod by District allotment Commitee Alwar on 17-05-2017 as per approval of Hon'ble Chairman Rajasthan Housing Board on 24-04-2017.

सहायक लोक सूचना अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल

सहायक सम्पदा प्रबन्धक
Asstt. Housing Officer
वृत्त-अलवर
31/5/17

(मंडल द्वारा जारी रिवाइज्ड अलोटमेंट लेटर)